

FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे :-	
	1. उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे राजनांदगांव द्वारा पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य
	2. अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	आरक्षित वन - 16.372 राजस्व वनभूमि- 4.582 कुल 20.954 हेक्टर।
	3. परियोजना की कुल लागत -	2687.00 करोड़
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाऐ -	अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) भूमि का आवश्यकता है।
	5. वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	जन कल्याण एवं केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि
	6. कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	सम्पूर्ण भारत
	7. सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	उत्तर बोरतलाव
	1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
	2. जिला -	राजनांदगांव
	3. वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट, राजस्व वनभूमि -	कक्ष क्रमांक RF 437 राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) खसरा क्रमांक 260, 199, 201 एवं 203
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	आरक्षित वन - 16.372 राजस्व वनभूमि- 4.582 कुल 20.954 हेक्टर।
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा -	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/ सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	आरक्षित वन - 16.372 राजस्व वनभूमि- 4.582 कुल 20.954 हेक्टर।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा	संलग्न है।
	3. वनस्पति की सघनता	
	4. वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार	3544 वृक्षों का विदोहन होना है। विदोहन योजना चेकलिस्ट क्र.-12 में संलग्न है।
	5. भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं	नहीं है।
	6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वर्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है।
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु 20.954 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है।

	8. क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां	नहीं पाया जाता है।
	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	आवश्यक नहीं है।
	10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा –	आवश्यक नहीं है।
	1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं है।
	2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यक नहीं है।
	3. विस्तृत पुनर्वास योजना	आवश्यक नहीं है।
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे –	
	1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार	दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी-465 की दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया जाना है।
	2. क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	संलग्न है।
	3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम	संलग्न है।
	4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	30436523.00
	5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	संलग्न है।
	6. क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	आवश्यक नहीं है।
	7. पारिषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	आवश्यक नहीं है।
	1. पारिषण लाइन की कुल लम्बाई	नहीं है।
	2. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई	नहीं है।
	3. मार्ग का अधिकार	नहीं है।
	4. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	नहीं है।
	7. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या	नहीं है।
	8. पारिषण टावरों की ऊंचाई	नहीं है।
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –	नहीं है।
	1. कुल आवाह क्षेत्र	नहीं है।
	2. कुल कमानु क्षेत्र	नहीं है।
	3. कुल जलाशय स्तर	नहीं है।
	4. उच्च बाढ़ स्तर	नहीं है।
	5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर	नहीं है।
	6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी	नहीं है।

	तथा अन्य)	
	7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	8. पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	9. पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	नहीं है।
	11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	नहीं है।
	12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना	नहीं है।
	13. कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में	नहीं है।
8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे –	नहीं है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये –	नहीं है।
	1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. सड़क की कुल लम्बाई	नहीं है।
	3. पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई	नहीं है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	नहीं है।
	1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं है।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	नहीं है।
	3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/ कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	नहीं है।
	4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	नहीं है।
	5. खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	नहीं है।
	6. चरणबद्ध सुधार योजना	नहीं है।
	7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान	नहीं है।
	8. पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें	नहीं है।
	9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या	नहीं है।
	10. निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल	नहीं है।
	क. खनन –	नहीं है।
	ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन –	नहीं है।
	ग. अधिभार को जमा करना –	नहीं है।
	घ. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन –	नहीं है।
	ङ. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नहीं है।
	च. शहर, आवास, कालोनियां –	नहीं है।
	छ. सड़क /रेल्वे मार्ग/ रज्जु मार्ग का निर्माण –	नहीं है।
	ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	नहीं है।
	11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/ स्थापित न किये जाने के क्या कारण है	आवश्यक नहीं है।
	12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	आवश्यक नहीं है।
	13. बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की	आवश्यक नहीं है।

	दूरी	
	14. पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
	15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण –	नहीं है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये हैं (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है.(हां/नहीं) यदि हां तो –	नहीं किया गया है।
	1. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे	नहीं है।
	2. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	नहीं है।
	3. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही	नहीं है।
	4. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है	नहीं।
14	कोई अन्य सूचना –	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे–	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात –	
	1. इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	2. क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें – प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।	


 (संजय कुमार यादव)
 भा.व.सं.
 वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़
 खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़

कंडिका 07 के अनुक्रमांक-02 के 3 की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष / खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)
1	राजनांदगांव	खैरागढ़	आरक्षित वनभूमि	437	16.372
योग -					16.372
2	राजनांदगांव	खैरागढ़ तहसील डोंगरगढ़	राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) पनियाजोब	260	0.187
	--"	--"	बोरतलाव	199	1.530
	--"	--"	--"	201	0.154
	--"	--"	--"	203	2.711
योग -					4.582
कुलयोग -					20.954

(एन.एस. बुन्देला)
कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे राजनांदगांव

(संजय कुमार यादव)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़
खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़

कंडिका क्रमांक-07 form no.IV S.No. 4-II Details of flora and fauna
Existing in the area

FLORA

(A)	वृक्ष	(TREES)
(B)	झाड़ियां एवं शाक	(Shrubs & Herbs)
(C)	बेलाएं एवं परजीवी	(Climbrers & Parasitis)
(D)	बांस, घास एवं बेलाएं	(Bamboos, Grasses & Sedges)

FAUNA

(A)	वन्य प्राणी	(Animals)
(B)	सरीसृप	(REPTILES)
(C)	पक्षियां	(Birds)

उपरोक्त जानकारी संलग्न है।

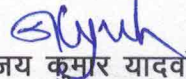

(संजय कुमार यादव)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़
खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़

कंडिका क्रमांक-07

Flora Detail

वृक्षों के प्रकार	प्रजाति	वानस्पतिक नाम
घास प्रजातियां (चारे योग्य) (निम्न रोह)		
	भुरभुरसी	Eragrostis tenella
	दूब	Cynodon dactylon
घास प्रजातियां (अखाद्य) (निम्न रोह)		
	कांटा बांस	Bamboosa arundinaceae
	शुक्ला घांस	Heteropogon contortus
झाड़ियां (निम्न रोह)		
	बेर	Zizyphus mauratiana
	धवई	Woodfordia floribunda
शीर्ष स्तरीय वन		
	बहेड़ा	Terminalia belerica
	सागौन	Tectona grandis
	मुन्डी, कलमी, क्रेम	Mitragyna parvifolia
	बीजा	Pterocarpus marsupium
	सेमल	Salmaaliala malabarica
	अर्जुन	Terminalia arjuna
	सलाई	Boswellia serrata
	मोदे, मोयन, छिंगन, गुपीद	Lannea cormandalica
	धावड़ा	Anogeissus latifolia
	साजा	Terminalia tomentosa
शाक (निम्न रोह)		
	पंवार	Sehima sulcatum
अधः स्तरीय वन	अमलतास	Cassia fistula

	लेण्डिया	Lagerstroemia parviflora
	तेंदू	Diospyros melanoxylon
	अचार	Buchnanania lanzan
	हरा	Terminalia chebula
	पापड़ा	Garenia latifolia
औषधीय / मुख्य लघु वनोपज		
	आंवला	Emblica officinalis
	बहेड़ा	Terminalia belerica
	हरा	Terminalia chebula
लताएं (निम्न रोह)		
	माहुल	Bauhinia vahlii
	पलास	Butea monosperma


 (संजय कुमार यादव)
 भा.व.से.
 वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़

Fauna Detail

क्र.	वन्य प्राणी/पक्षी का नाम	वैज्ञानिक नाम
1	लंगूर	Presbytis
2	बन्दर	Macaca Mulatta
3	लकड़ बग्गा	Hyaena hyaena
4	नेवला	Herpestes
5	गीदड़/सियार	Canis aureus
6	लोमड़ी	Vulpes bengalensis
7	गिलहरी	Funambulus pennanti
8	चूहा	Bandicota bengalensis
9	साही	Hystrix Indica
10	खरगोश	Lepus nigricollis
11	सूअर	Sus scrofa
12	कोटरी, भड़की	Muntiacus muntjak
13	काला तीतर	Francolinus franco-linus
14	बटेर	Coturnix coturnix
15	जंगली मुर्गी	Gallus gallus
16	तोता	Psittacula eupatria
17	कोयल	Eudynamys scolopacea
18	मैना	Aeridotheres tristis


 (संजय कुमार यादव)
 भा.व.से.
 वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़

चेकलिस्ट क्र.-10

न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिये खैरागढ़ वनमंडल के दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के अधिन आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 437 की 16.372 हे. वनभूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त भूमि का कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था।


वन मंडल अधिकारी,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़


(एन.एस. बुन्देला)
कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
कायदा विभाग (निर्माण)
द.पू.म.रेलवे, राजनांदगांव (छ.ग.)
S.E.C. Railway, R.N.

वेकलिस्ट क्र.-16

प्राक्कलन

पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य व्यपवर्तन के प्रकरण में बिगड़े वन भूमि 41.908 हे. में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य की 'सिंचित रोपण' योजना

पक्षेत्र-द.बोरतलाव उपवृत्त-अण्डी पस्तर-कोटनापनी

क्षेत्रफल - 41.908

कस क्रमांक - पी-465 बिगड़े वन भूमि

फेंसिंग - सीमेंट पोल्स (तार फेंसिंग)

अंतराल - 3x3

पौधों की संख्या - 46099

मानव दिवस

311.54

प्रथम वर्ष - क्षेत्र तैयारी कार्य 2020-21

क्र	विवरण	मात्र	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सीमांकन/सर्वेक्षण (16 सेकेण्ड के अंतराल में जी.पी.एस. के माध्यम से 0.1 हे. सम्यक प्लॉट डालकर) उपचार मानचित्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना (पुनरोत्पादन का बेस लाईन सर्वे)	41.908	प्रति हे. 02 मा.दि.	623.08	26112.00
2	क्षेत्र की सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य	41.908	(5.0 मा.दि.) प्रति हे.	1557.70	65280.00
3	स्टेकिंग कार्य :- 3x3 मी. अंतराल में	46099	3.85 मा.दि. प्रति सै.नग	11.99	552725.00
4	फेंसिंग :- 1. सीमेंट फेंसिंग पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लम्बाई 3x3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट (CSIDC CODE A3L2MT 10x10CM)	1467	प्रति नग	206.35	302670.00
	2. कांटातार क्रय करना (CSIDC CODE 12x14x6"-B-41 10umt/kg.)	2724	प्रति कि.ग्रा.	70.80	192861.00
	3. फेंसिंग एवं गड़्ढा खुदाई कार्य-साईज 30x30x40 सेमी.	1467	प्रति नग	9.35	13714.00
	4. सीमेंट पोल्स फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट सहित = 35 नग C.C. 1:3:6 20 मि.मी. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 Cum	1467	प्रति नग	96.00	140811.00
	5. कांटातार सात लाईन में यू नेल्स / बार्डिंग तार के सहायता से खींचकर लगाना तथा नीचे की दो लाईन में पतले तार से आवकतानुसार जाली बनाना ।	2724	प्रति र.मी.	14.50	39498.00
5	रोपण हेतु गड़्ढों की खुदाई कार्य 45x45x45cm साईज कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% साधारण मिट्टी हेतु औसत मानकर दर निर्धारित किया गया)	46099	6 मा.दि. प्रति सैकड़ / प्रति नग	18.69	861587.00
6	कम्पोस्ट/गोबर खाद क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.00911 \text{ M}^3 / (\%) = 0.02 \times 1100 = 25$ घनमीटर	1048	प्रति घनमीटर	880.00	921976.00
7	गड़्ढों में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरना	46099	2.75 रु. प्रति गड़्ढा	2.75	126772.00

चेकलिस्ट क्र.-16

क्र	विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
8	रोपणी व्यय :- 10% अधिक (पॉलीथीन साईज 25x30 सेमी.) (रोपण के समय सीधे पौधे पर न्यूनतम साईज 2 से 3 फीट) (9.10 मा.दि. प्रति सै. का 65 प्रतिशत)	50709	71.57 मा.दि. /प्रति पौधा	18.43	934561.00
9	पॉलीथीन बैग की कीमत (15x25 से.मी.)	226	प्रति कि.ग्रा.	175.00	39603.00
9	आस्थामूलक कार्य (विकास उन्नमूलक कार्य)	41.908	प्रति हे.	2000.00	83816.00
10	ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (द्यूब वेल, ड्रिप सिस्टम सहित)	41.908	प्रति हे.	165365.00	6930116.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय :- (मजदूरो द्वारा)				
	(1.) फेंसिंग पोल्स फेंसिंग गड्ढे तक परिवहन कार्य				
	(2.) बारबेट वायर डम्प स्थल से कार्य स्थल तक				
	(3.) मजदूरो को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य	42	प्रति हे.	18571.00	778273.00
	(4.) चूना, रस्सी क्रय				
	(5.) स्टैकिंग हेतु खूटी तैयार करना				
	(6.) प्रवेश द्वार गेट निर्माण कार्य				
			योग :-		12010381.00
			व्यय प्रति हे		286589.00

द्वितीय वर्ष – रोपण एवं रखरखाव 2021-22

1	लाईन ट्रेज का निर्माण, अगले अरपण्टी नागफनी बबूल जट्रोफा आदि का फेंसिंग के किनारे दो लाईन में रोपण	41.908	3.50 मा.दि. प्रति हे.	1090.38	45696.00
2	रोपणी व्यय (9.1 मा.दि. प्रति सैकड़ा का 35 प्रति)	50709	प्रति पौधा	9.92	503030.00
3	अगले वर्ष के लिए 10 प्रतिशत प्रतिस्थापना हेतु पौधा तैयारी	4610	प्रति पौधा	18.44	85006.00
4	पॉलीथीन बैग की कीमत (15x25 से.मी.)	21	प्रति कि.ग्रा.	175.00	3667.00
5	पौधा परिवहन कार्य दोनो पौधों को प्रत्येक गड्ढों के पास ले जाकर रखना	50709	प्रति पौधा	4.55	230724.00
6	गड्ढों में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों, कीट एवं फंगुस नाशक पाउडर उपजाऊ मिट्टी एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार करना एवं गड्ढे में डालना	46099	प्रति गड्ढे सै.	2.68	123545.00
7	रोपण (4 फीट ऊंचाई का पौधा रोपण)	46099	24.75 मा.दि. प्र. हे. /प्रति पौधा	7.01	323153.00
	जैविक रासायनिक खाद क्रय :-				
	(1) फोरेट 10 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	460.99	प्रति कि.ग्रा.	104.55	48196.00
	(2) सुपर फास्फेट 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	2304.94	प्रति कि.ग्रा.	9.36	21574.00
	(3) यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय	2304.94	प्रति कि.ग्रा.	7.64	17610.00
	(4) वर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	9219.76	प्रति कि.ग्रा.	8.00	73758.00
	(5) कीटनाशक – Monochrotophos/Malathion क्रय (आवश्यकतानुसार)	41.908	प्रति हे.	775.00	32479.00

चेकलिस्ट क्र.-16

क्र 1	विवरण 2	मात्रा 3	इकाई 4	दर 5	राशि 6
9	निंदाई कार्य :- 1 प्रथम निंदाई - रोपण के 15 दिन पश्चात् 1 मीटर व्यास में	46099	13.20 मा.दि. प्र. हे. /प्रति पौधा	3.74	172410.00
	2 द्वितीय निंदाई - 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद	46099	22.00 मा.दि. प्र. हे. /प्रति पौधा	6.23	287196.00
	3 तृतीय निंदाई - 1 मी. व्यास में गुड़ाई एवं थाला बनाना (कोई खाद नहीं डाला जावेगा)	46099	13.20 मा.दि. प्र. हे. /प्रति पौधा	3.74	172410.00
10	सुरक्षा 8 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	335	प्रति माह	2950.00	989029.00
11	सिंचाई 06 माह (बिजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
12	अन्य आकस्मिक व्यय -बोर्ड लगाना , गेट लगाना, अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	2324.00	97394.00
			योग :-		3440614.00
			व्यय प्रति हे		82099.00

तृतीय वर्ष - रखरखाव 2022-23

1	रोपणी में पौधों का रखरखाव (9.1 मा.दि. प्रति सैकड़ा का 35 प्रतिशत)	4610	3.50 मा.दि. प्रति हे. /प्रति पौधा	9.91	45684.00
2	मरे हुए 10 प्रतिशत पौधों को बदलने हेतु 45x45x45 से.मी. के गड्ढे खोदना	4610	प्रति नग	18.69	86159.00
3	मरे पौधों के स्थान पर पौधा प्रतिरोपण करना	4610	3.25 मा.दि. प्रति हे. / प्रति नग	9.20	42411.00
4	निंदाई कार्य :- 1. प्रथम निंदाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना एवं यूनिया तथा जैविक खाद डाला जावेगा।	46099	13.20 मा.दि. प्र. हे. /प्रति पौधा	3.74	172410.00
	2. द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी (खाद सहित)	46099	22.00 मा.दि. प्र. हे. /प्रति पौधा	6.23	287196.00
5	यूरिया एवं अन्य खाद कीटनाशक का क्रय	41.908	प्रति हे.	5100.00	213731.00
6	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
7	सिंचाई 06 माह (बिजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
8	अन्य आकस्मिक व्यय - अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	1755.00	73549.00
			योग :-		2618414.00
			व्यय प्रति हे		62480.00

चेकलिस्ट क्र.-16

चतुर्थ वर्ष – रखरखाव 2023-24

क्र. 1	विवरण 2	मात्रा 3	इकाई 4	दर 5	रशि 6
1	प्रथम निदाई/ गुड़ाई/ कीटनाशक एवं जैविक खाद डालना	46099	प्रति पौधा	3.74	172410.00
2	जैविक / रासायनिक खाद एवं कीटनाशक कय	46099	प्रति पौधा	2.45	113126.00
3	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
4	सिंचाई 08 माह (विजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय – अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	586.50	24579.00
			योग :-		2007389.00
			व्यय प्रति हे		47900.00

पंचम वर्ष – रखरखाव 2024-25

1	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
2	सिंचाई 08 माह (विजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय – अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	700.00	29336.00
			योग :-		1726610.00
			व्यय प्रति हे		41200.00

षष्ठम वर्ष – रखरखाव 2025-26

1	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
2	सिंचाई 08 माह (विजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय – अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	700.00	29336.00
			योग :-		1726610.00
			व्यय प्रति हे		41200.00

सप्तम वर्ष – रखरखाव 2026-27

1	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
2	सिंचाई 08 माह (विजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय – अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	700.00	29336.00
			योग :-		1726610.00
			व्यय प्रति हे		41200.00

अष्टम वर्ष – रखरखाव 2027-28

1	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
2	सिंचाई 08 माह (विजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय – अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	700.00	29336.00
			योग :-		1726610.00
			व्यय प्रति हे		41200.00

चेकलिस्ट क्र.-16

नवम वर्ष – रखरखाव 2028-29

क्र 1	विवरण 2	मात्रा 3	इकाई 4	दर 5	राशि 6
1	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
2	सिंचाई 08 माह (विजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय – अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	700.00	29336.00
			योग :-		1726610.00
			व्यय प्रति हे		41200.00

दसम वर्ष – रखरखाव 2029-30

1	सुरक्षा 12 माह (25 हे. में 01 चौकीदार = 2 चौकीदार)	502.896	प्रति माह	2950.00	1483543.00
2	सिंचाई 08 माह (विजली बिल सहित)	251.448	प्रति हे.	850.00	213731.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय – अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	41.908	प्रति हे.	700.00	29336.00
			योग :-		1726610.00
			व्यय प्रति हे		41200.00

व्यय का गोप्राचार

क्र 1	वर्ष 2	राशि 3	व्यय प्रति हे. 4
1	द्वितीय वर्ष 2020-21	12010381.00	286589.00
2	तृतीय वर्ष 2021-22	3440614.00	82099.00
3	चतुर्थ वर्ष 2022-23	2618414.00	62480.00
4	पंचम वर्ष 2023-24	2007389.00	47900.00
5	षष्ठम वर्ष 2024-25	1726610.00	41200.00
6	सप्तम वर्ष 2025-26	1726610.00	41200.00
7	अष्टम वर्ष 2026-27	1726610.00	41200.00
8	नवम वर्ष 2027-28	1726610.00	41200.00
9	दसम वर्ष 2028-29	1726610.00	41200.00
10	दसम वर्ष 2029-30	1726610.00	41200.00
	योग :-	30436458.00	726268.00
	कुल राशि -41908 हे. X 726270 =	30436523.00	

(संजय कुमार यादव)

आ. व. से.
वन मंडल अधिकारी,
वन मंडल अधिकारी,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खेसगांव वनमंडल, खेसगांव